

राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज
आजमगढ़

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं को संस्थान में लागू करने की स्वीकृति माननीय निदेशक महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी है। समस्त पदाभिहित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें :-

क्र०सं०	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने वाले की पात्रता	नियत समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा
01	मार्कशीट/डिग्री/डिप्लोमा/ प्रवर्जन प्रमाण-पत्र/ अनुकृति अंक पत्र प्रदान किया जाना।	परीक्षा नियन्त्रक	संस्थान के छात्र/छात्राए	15 दिन	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	15 दिन	निदेशक	15 दिन
02	पुनः परीक्षा परिणाम संशोधन, सेशनल अंक की सूचना, अंक सूची में त्रुटियों को शुद्ध करना।	परीक्षा नियन्त्रक	संस्थान के छात्र/छात्राए	30 दिन	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	15 दिन	निदेशक	15 दिन
03	काशनमनी/अधिक शुल्क/अन्य शुल्क वापस किया जाना।	अधिष्ठाता शैक्षणिक	संस्थान के छात्र/छात्राए	45 दिन	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	20 दिन	निदेशक	20 दिन
04	चरित्र प्रमाण-पत्र/बोनाफाइड प्रदान किया जाना।	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	संस्थान के छात्र/छात्राए	15 दिन	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	15 दिन	निदेशक	15 दिन
05	छात्रवृत्ति फार्म अग्रसारित किया जाना।	नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति	संस्थान के छात्र/छात्राए	07 दिन	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	03 दिन	निदेशक	03 दिन
06	नव-प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण के उपरान्त शुल्क वापस किया जाना।	अधिष्ठाता शैक्षणिक	नव-प्रवेशित छात्र/छात्राए	30 दिन	निदेशक	15 दिन	---	---
07	विश्वविद्यालय स्तर से पेंशन/प्रेच्युटी से सम्बन्धित प्रपत्रों को पेंशन निदेशालय भेजना।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र शिक्षकों/ अधिकारी/ कर्मचारी	60 दिन (सेवानिवृत्ति की तिथि से 180 दिन पूर्व)	निदेशक	30 दिन	प्रशासकीय परिषद	प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक

(Handwritten marks)

(Handwritten signature)

क्र०सं०	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने वाले की पात्रता	नियत समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा
								के उपरान्त 07 दिन
08	जी०पी०एफ० का भुगतान करना।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र शिक्षकों/ अधिकारी/ कर्मचारी	20 दिन	निदेशक	15 दिन	प्रशासकीय परिषद	प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक के उपरान्त 07 दिन
09	चिकित्सा अवकाश/अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करना।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र शिक्षकों/ अधिकारी/ कर्मचारी	15 दिन	निदेशक	15 दिन	--	--
10	गोपनीय आख्या की प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित होने की सूचना प्रदान करना।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र अधिकारी/ कर्मचारी	30 दिन	निदेशक	15 दिन	--	--
11	सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की स्वीकृति पर निर्णय।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र अधिकारी/ कर्मचारी	90 दिन	निदेशक	30 दिन	प्रशासकीय परिषद	प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक के उपरान्त 07 दिन
12	कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत आवेदन एवं साक्षात्कार हेतु पात्रता पर निर्णय।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र शिक्षकों	90 दिन	निदेशक	30 दिन	प्रशासकीय परिषद	प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक के उपरान्त 07 दिन
13	मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर निर्णय।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र शिक्षकों/ अधिकारी/ कर्मचारी	90 दिन	निदेशक	30 दिन	प्रशासकीय परिषद	प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक के उपरान्त 07 दिन
14	सेवा पुस्तिका की अद्यतन प्रतिलिपि प्रदान किया जाना।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र शिक्षकों/ अधिकारी/ कर्मचारी	15 दिन	निदेशक	07 दिन	--	--
15	अदेयता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना।	कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव	संस्थान के पात्र शिक्षकों/ अधिकारी/ कर्मचारी	30 दिन	निदेशक	15 दिन	--	--

AS

AS

क्र०सं०	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने वाले की पात्रता	नियत समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा
16	विलम्बित वेतन का भुगतान करना।	वित्त एवं लेखा अधिकारी	संस्थान के पात्र शिक्षकों/ अधिकारी/ कर्मचारी	30 दिन	निदेशक	15 दिन	प्रशासकीय परिषद	प्रशासकीय परिषद की आगामी बैठक के उपरान्त 07 दिन

आज्ञा से

निदेशक

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज आजमगढ़

पत्रांक : रा०इन्जी०का० आजमगढ़/कुस०का०/ 121 /2018,

दिनांक : 19 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वित्त एवं लेखाधिकारी/ अनुभागीय अधिकारी/ समस्त छात्रावास अधीक्षक को इस आशय के साथ कि उक्त व्यवस्था को अपने सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रभारी वेबसाइट को संस्थान वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



सहायक कुलसचिव,

